I/199895/2024

उत्तराखण्ड शासन
वन अनुभाग–02
संख्या–509/X–2–2023–20(01)2005
देहरादून: दिनांक 16 मार्च, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) की धारा 76 सहपठित धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तरांचल पंचायती वन नियमावली, 2005 में अग्रेत्तर संशोधन करने के दृष्टिगत निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

उत्तराखण्ड पंचायती वन (संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ	1.	(1)	इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पंचायती वन (संशोधन) नियमावली, 2024 है।
		(2)	यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 2 का संशोधन	2.		उत्तरांचल पंचायती वन नियमावली, 2005 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) के नियम 2 (ग),(च) एवं (प) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्
स्तम्भ–1			स्तम्भ–2
विद्यमान नियम			एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
2(ग) 'आयुक्त','जिलाधिकारी', 'परगना मजिस्ट्रेट', 'पटवारी', 'वन संरक्षक', 'प्रभागीय वनाधिकारी', 'उप प्रभागीय वनाधिकारी/सहायक वन संरक्षक,' 'वन क्षेत्राधिकारी', 'उप वन क्षेत्राधिकारी', 'वन दरोगा' ('फारेस्टर'), 'वन आरक्षी' ('वन रक्षक'), 'सरपंच' एवं वन पंचायत प्रबन्धन समिति के सदस्य' का तात्पर्य क्रमशः किसी			2(ग) 'आयुक्त', 'जिलाधिकारी', 'परगना मजिस्ट्रेट', 'पटवारी', 'मुख्य वन संरक्षक','वन संरक्षक', 'प्रभागीय वनाधिकारी', 'उप प्रभागीय वनाधिकारी /सहायक वन संरक्षक,' 'वन क्षेत्राधिकारी', 'उप वन क्षेत्राधिकारी', 'वन दरोगा' ('फारेस्टर'), 'वन आरक्षी' ('वन रक्षक'), 'सरपंच' एवं वन पंचायत प्रबन्धन समिति के सदस्य' का तात्पर्य क्रमशः किसी ऐसे पदधारक से है, जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत 'ग्राम वन'/ 'पंचायती वन' पड़ता हो। 'प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत उत्तराखण्ड', 'मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना', 'मुख्य वन संरक्षक, उपयोग,एन.टी.एफ.पी. एवं आजीविका', 'मुख्य वन संरक्षक, ईकोटूरिज्म एवं प्रचार–प्रसार', 'मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन वन्यजीव संरक्षण एवं आसूचना', 'मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत एवं सामुदायिकी वानिकी, उत्तराखण्ड' से तात्पर्य ऐसे पदधारक से है, जो वन विभाग, उत्तराखण्ड में उक्त पद धारित करता हो।

Generated from eOffice by MANOJ KUMAR BHATT, RO- Forest Section 2-MKB, REVIEW OFFICER, Forest Department on 16/03/2024 02:11 PM

I/199895/2024

ऐसे पदधारक से है, जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता अन्तर्गत 'ग्राम वन'/'पंचायती वन' पड़ता हो।		
2(च) 'संहत प्रबन्ध योजना' का तात्पर्य ऐसी योजना से है जो प्रभागीय वनाधिकारी की अधिकारिता वाले क्षेत्र में स्थित समस्त ग्राम वनों/ पंचायती वनों के लिए वन वर्धन एवं निरन्तर विकास के सिद्धान्त पर 5 वर्ष के लिए बनायी गयी हो यह योजना एकल अभिलेख के रूप में दो या अधिक खण्डों में होगी और इसमें ग्राम वनों/पंचायती वनों का सामान्य विवरण तथा सूक्ष्म योजना को बनाने तथा किसी ग्राम वन की सुरक्षा तथा प्रबन्धन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त होंगे।		2(च) 'संहत प्रबन्ध योजना' का तात्पर्य ऐसी योजना से है जो प्रभागीय वनाधिकारी की अधिकारिता वाले क्षेत्र में स्थित समस्त ग्राम वनों/पंचायती वनों के लिए वन वर्धन एवं निरन्तर विकास के सिद्धान्त पर 10 वर्ष के लिए बनायी गयी हो यह योजना एकल अभिलेख के रूप में दो या अधिक खण्डों में होगी और इसमें ग्राम वनों/पंचायती वनों का सामान्य विवरण तथा सूक्ष्म योजना को बनाने तथा किसी ग्राम वन की सुरक्षा तथा प्रबन्धन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त होंगे।
2(प) 'ग्राम सभा' एवं 'प्रधान' के वही अर्थ होंगे, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट, 1947 (जो उत्तराखण्ड में प्रवृत है) में उनके लिए दिये गये हैं।		2(प) 'ग्राम सभा' एवं 'ग्राम पंचायत प्रधान' के वही अर्थ होंगे, जो उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 में उनके लिए दिये गये हैं।
नियम–5 का संशोधन	3.	मूल नियमावली के नियम 5 (ख) के पश्चात निम्नलिखित नया नियम--5 (ग) व (घ) जोड़ दिया जायेगा, अर्थात्:–
		नियम 5 (ग) पंचायती वनों/ग्राम वनों/निजी भूमि/पनघट, चारागाह/कब्रस्तान अथवा राजस्व विभाग की भूमि सीमांकन

Generated from eOffice by MANOJ KUMAR BHATT, RO- Forest Section 2-MKB, REVIEW OFFICER, Forest Department on 16/03/2024 02:11 PM

I/199895/2024

		सम्बन्धी प्रकरणों में उत्पन्न होने वाले विवादों के निस्तारण हेतु प्रस्तावित नियमावली में वन विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त समिति को गठित किया जायेगा, जिसमें राजस्व विभाग से तहसीलदार एवं वन विभाग के उप– प्रभागीय वनाधिकारी को विवाद की स्थिति को निस्तारित किये जाने के अधिकार होगा। इस निर्णय से प्रभावित पार्टी 30 दिनों के भीतर अपील हेतु रिजर्व फारेस्ट से बनी वन पंचायत हेतु प्रभागीय वनाधिकारी एवं सिविल सोयम भूमि से बनी वन पंचायत हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी को कर सकते है।
		5 (घ) सभी पंचायती वनों में सुधार एवं वन पंचायतों के सुदृढीकरण हेतु दावों/आपत्तियों पर विनिश्चय ग्राम वनों/पंचायती वनों का सीमांकन और विनिश्चय सम्बन्धी आवेदन/प्रार्थना पत्र सम्बन्धित परगना मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया जायेगा, जिस पर परगना मजिस्ट्रेट द्वारा नियत समय के अन्दर निस्तारण किया जायेगा।
नियम 7 में संशोधन	4.	मूल नियमावली में विद्यमान नियम 7(1) (क) के अन्त में निम्नलिखित टिप्पणी अन्तः स्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:– **टिप्पणी:** प्रबन्धन समिति के 09 सदस्यों में से 02 सदस्य मनोनीत होगें। जिसमें ग्राम पंचायत का एक सदस्य ग्राम प्रधान द्वारा नामित किया जायेगा तथा जैव विविधता प्रबन्धन समिति के एक सदस्य को अध्यक्ष, जैव विविधता प्रबन्धन समिति द्वारा नामित किया जायेगा। जिस ग्राम पंचायत /जैव विविधता प्रबन्धन समिति में एक से अधिक वन पंचायत स्थित हैं उस दशा में ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान द्वारा /अध्यक्ष, जैव विविधता प्रबन्धन समिति द्वारा एक सदस्य को एक से अधिक वन पंचायतों के प्रबन्धन समिति में नामित किया जा सकेगा। ऐसी वन पंचायतें जो नगर निकाय/नगर पालिका में अवस्थित हैं, उनमें 08 सदस्य (पार्षद/वार्ड मेम्बर) सम्बन्धित नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा नामित किये जायेंगे एवं 01 सदस्य सम्बन्धित नगर निकाय/नगर पालिका के अन्तर्गत जैव विविधता प्रबन्धन समिति का होगा। ऐसी नगर निकाय वन पंचायत का सरपंच सम्बंन्धित नगर निकाय के मेयर/अध्यक्ष द्वारा ही चयनित कर नामित किया जायेगा।
नियम 11 का संशोधन	5	मूल नियमावली के नियम 11 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्

Generated from eOffice by MANOJ KUMAR BHATT, RO- Forest Section 2-MKB, REVIEW OFFICER, Forest Department on 16/03/2024 02:11 PM

I/199895/2024

स्तम्भ–1			स्तम्भ–2
विद्यमान नियम			एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
प्रभागीय वनाधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले समस्त ग्राम वनों/पंचायती वनों के लिये पांच वर्ष की अवधि के लिये एक संहत प्रबन्ध योजना बनायेगा। संहत प्रबन्ध योजना में वन पंचायतों को ग्राम पंचायतों से जोडने बावत वन क्षेत्रों में वानिकी एवं पर्यावरण संरक्षण तथा जल संरक्षण कार्यो को भी समाहित किया जायेगा और इसे सम्बन्धित वन संरक्षक को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा एवं वन संरक्षक बिना संशोधन के अथवा संशोधन सहित 60 दिनों के अन्दर अपना अनुमोदन देगा।			प्रभागीय वनाधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले समस्त ग्राम वनों/पंचायती वनों के लिये 10 वर्ष की अवधि के लिये शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देश के अनुसार संहत प्रबन्ध योजना बनायेगा। संहत प्रबन्ध योजना में वन पंचायतों को ग्राम पंचायतों से जोड़ने बावत वन क्षेत्रों में वानिकी एवं पर्यावरण संरक्षण तथा जल संरक्षण कार्यों को भी समाहित किया जायेगा और इसे सम्बन्धित वन संरक्षक, प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत उत्तराखण्ड की अध्यक्षता वाली समिति जिसमें निम्न सदस्य होंगे, के सामने प्रस्तुतीकरण करेगें व अनुमोदन प्राप्त करेंगें:– 1. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत उत्तराखण्ड– अध्यक्ष 2. मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना– सदस्य 3. सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक – सदस्य 4. मुख्य वन संरक्षक, (उपयोग,एन.टी.एफ.पी. एवं आजीविका)–सदस्य 5. मुख्य वन संरक्षक, ईकोटूरिज्म एवं प्रचार–प्रसार– सदस्य 6. मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन,वन्यजीव संरक्षण एवं आसूचना–सदस्य 7. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड द्वारा– सदस्य नामित सामुदायिक वानिकी क्षेत्र के विशेषज्ञ 8. मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत एवं सामुदायिकी– सदस्य सचिव वानिकी, उत्तराखण्ड--
नियम 12 का संशोधन	6.		मूल नियमावली में विद्यमान नियम 12, के अन्त में निम्नलिखित टिप्पणी अन्तः स्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:– टिप्पणी:– स्वीकृत माइक्रोप्लान में यदि संशोधन की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित वन संरक्षक के स्वीकृति उपरान्त माइक्रोप्लान में संशोधन किया जायेगा।
नियम 18 का संशोधन	7.		मूल नियमावली के नियम 18 (ग) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्

Generated from eOffice by MANOJ KUMAR BHATT, RO- Forest Section 2-MKB, REVIEW OFFICER, Forest Department on 16/03/2024 02:11 PM

I/199895/2024

स्तम्भ–1			स्तम्भ–2
विद्यमान नियम			एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
18(ग) प्रभागीय वनाधिकारी के पूर्वानुमोदन के पश्चात एवं उपधारा (क) एवं (ख) के अधीन आवश्यकताएं पूर्ण होने के पश्चात प्रबन्धन समिति प्रस्ताव पारित कर अधिकारधारियों के वास्तविक घरेलू उपयोग हेतु या स्थानीय कुटीर उद्योग या ग्रामीण उद्योग या सामुदायिक उपयोग हेतु वन उपज का निस्तारण कर सकती है।			18(ग) उपनियम (क) एवं (ख) के अधीन आवश्यकताएं पूर्ण होने के पश्चात प्रबन्धन समिति प्रस्ताव पारित कर अधिकारधारियों के वास्तविक घरेलू उपयोग हेतु या स्थानीय कुटीर उद्योग या ग्रामीण उद्योग या सामुदायिक उपयोग हेतु गैर विनाशकारी श्रेणी के गैर–प्रकाष्ठीय वन उपज का निस्तारण कर सकती है। उत्तराखण्ड इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली 2012 के प्राविधानों के अनुरूप उपरोक्त वन उपज के अभिवहन हेतु वन पंचायत सचिव द्वारा अभिवहन पास जारी किया जायेगा तथा विभिन्न वर्ग के वन उपज के अभिवहन पास के लिए नियमानुसार देय अभिवहन शुल्क (फीस) प्राप्त कर ग्राम वन निधि/पंचायती वन निधि में जमा करेगा।
नियम 19 का संशोधन	8.		मूल नियमावली में विद्यमान नियम 19 (त्र) के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम 19 (ञ) जोड़ दिया जायेगा; अर्थात्:–
			19(ञ) यह सुनिश्चित करना कि पंचायती वन क्षेत्रों के अन्दर गंदगी/कूड़ा/अपशिष्ट जमा न हो तथा वन पंचायत क्षेत्र तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थानीय जड़ी–बूटी तथा ईकोटूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा देना।
नियम 20 का संशोधन	9.		मूल नियमावली के नियम 20 (क) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्
स्तम्भ–1			स्तम्भ–2
विद्यमान नियम			एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
प्रबन्धन समिति की प्रास्थिति वन अधिकारी			प्रबन्धन समिति की प्रास्थिति वन अधिकारी की होगी और वह सौंपे गये क्षेत्र के लिए निम्नलिखित शक्तियों

Generated from eOffice by MANOJ KUMAR BHATT, RO- Forest Section 2-MKB, REVIEW OFFICER, Forest Department on 16/03/2024 02:11 PM

I/199895/2024

की होगी और वह सौंपे गये क्षेत्र के लिए निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी। (क) ग्राम वन/ पंचायती वन के भीतर किये गये वन अपराधों का अपराधों की प्रकृति के अनुसार प्रतिकर के रूप में प्रत्येक अलग–अलग अपराध हेतु 500 रू0 की (सीमा तक) राशि तक शमन करना। परन्तु यदि अपराधी मामले का शमन करने को तैयार हो तो प्रबन्धन समिति इस नियम में विनिर्दिष्ट प्रतिकर के अतिरिक्त अपराध के अर्न्तग्रस्त सम्पत्ति का पूरा बाजार मूल्य जैसा कि प्रभागीय वनाधिकारी/सम्बंधित वन संरक्षक से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी द्वारा विहित अनसूचित दर पर निर्धारित किया जाय, वसूल करेगी।			का प्रयोग करेगी। (क) ग्राम वन/ पंचायती वन के भीतर किये गये शमन योग्य वन अपराधों की प्रकृति के अनुसार प्रतिकर के रूप में प्रत्येक अलग–अलग अपराध हेतु शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश के क्रम में शमन करना: परन्तु यदि अपराधी मामले का शमन करने को तैयार हो तो प्रबन्धन समिति इस नियम में विनिर्दिष्ट प्रतिकर के अतिरिक्त अपराध के अर्न्तग्रस्त सम्पत्ति का पूरा बाजार मूल्य जैसा कि प्रभागीय वनाधिकारी/सम्बंधित वन संरक्षक से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी द्वारा विहित अनुसूचित दर पर निर्धारित किया जाये, वसूल करेगी। प्रशमन योग्य वन अपराधों, जिसमें अभियुक्त प्रशमन हेतु तैयार नहीं है तथा गैर प्रशमन योग्य वन अपराध सम्बन्ध में प्रबन्धन समिति द्वारा लिखित रूप से राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी को सूचित करेगी जोकि प्रकरण पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करेंगे।
	10		मूल नियमावली के नियम 20 (छ) एवं नियम 20 (झ) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:
स्तम्भ–1			**स्तम्भ–2**
विद्यमान नियम			**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**

Generated from eOffice by MANOJ KUMAR BHATT, RO- Forest Section 2-MKB, REVIEW OFFICER, Forest Department on 16/03/2024 02:11 PM

I/199895/2024

20(छ) वन को हानि पहुँचाये बिना वन उपज की स्थानीय बिक्री करना और चराई और घास कटाई के लिये या गिरी हुई जलाने की लकड़ी को एकत्रित करने के लिये अगर आवश्यक हो तो प्रभागीय वनाधिकारी के पूर्वानुमोदन के साथ अनुज्ञा पत्र जारी करना और फीस लेना जो अधिकारधारियों के वास्तविक उपयोग हेतु होगा परन्तु चराई, घास, कटाई या जलोनी लकड़ी एकत्रित करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी की आज्ञा आवश्यक नहीं होगी।			20(छ) वन को हानि पहुँचाये बिना चराई और घास कटाई के लिये या गिरी हुई जलोनी लकड़ी को एकत्रित करने के लिये अथवा गैर विनाशकारी श्रेणी के गैर प्रकाष्ठ वन उपज (जैसे–फूल, फल, बीज, पत्तियां, चीड़–पिरूल, शिलाजीत इत्यादि) के समुपयोजन एवं उपयोग हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करना और फीस लेना।
20(झ) प्रबन्धन समिति स्वयं सहायता समूह या वन उपयोगकर्ता सदस्य से समूह के रूप में अथवा एकल सदस्य (जैसी भी स्थिति हो), से अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत वन ग्राम वनों के समुचित प्रबन्धन, संवर्धन, सुरक्षा, विकास को दृष्टिगत रखते हुए आम सभा से अनुमोदन प्राप्त कर अनुबन्ध कर सकेगी।			20(झ) प्रबन्धन समिति स्वयं सहायता समूह या वन उपयोगकर्ता सदस्य से समूह के रूप में अथवा एकल सदस्य (जैसी भी स्थिति हो) तथा अतिरिक्त सरकारी एजेन्सी तथा वाह्य एजेन्सी से अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत वन ग्राम वनों के समुचित प्रबन्धन, संवर्धन, सुरक्षा, विकास को दृष्टिगत रखते हुए आम सभा से अनुमोदन प्राप्त कर अनुबन्ध कर सकेगी, किन्तु प्रबन्धन समिति वाह्य एजेन्सी से अनुबन्ध करने से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करेगी।
नियम 25 का संशोधन	11		मूल नियमावली के नियम 25 (क) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्

Generated from eOffice by MANOJ KUMAR BHATT, RO- Forest Section 2-MKB, REVIEW OFFICER, Forest Department on 16/03/2024 02:11 PM

I/199895/2024

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1)जब तक किसी युक्तियुक्त कारण से असमर्थ न हो, सरपंच का निम्नलिखित कर्तव्य होगा: (क) प्रबन्धन समिति की सभी बैठकों को बुलाना और उनकी अध्यक्षता करना। (ख) कार्य पर नियंत्रण रखना और उसे संचालित करना और व्यवस्था बनाये रखना। (ग) प्रबन्धन समिति की वित्त व्यवस्था की देख–भाल करना और उसके प्रशासन का अधीक्षण करना तथा उसमें पाई किसी त्रुटि को उसकी जानकारी में लाना। (घ) प्रबन्धन समिति द्वारा रखे कर्मचारी वर्ग तथा अधिष्ठान का अधीक्षण व नियंत्रण करना। (ड) प्रबन्धन समिति के संकल्पों को कार्यान्वित करना। (च) नियमों के विहित विभिन्न रजिस्टरों को रखने की व्यवस्था करना और प्रबन्धन समिति की ओर से सभी पत्र व्यवहार करना।	(1) जब तक किसी युक्तियुक्त कारण से असमर्थ न हो, सरपंच का निम्नलिखित कर्तव्य होगा: (क) प्रबन्धन समिति की सभी बैठकों को बुलाना और उनकी अध्यक्षता करना। (ख) कार्य पर नियंत्रण रखना और उसे संचालित करना तथा व्यवस्था बनाये रखना। (ग) प्रबन्धन समिति की वित्त व्यवस्था की देखभाल करना और उसके प्रशासन का अधीक्षण करना तथा उसमें पाई किसी त्रुटि को उसकी जानकारी में लाना। (घ) प्रबन्धन समिति द्वारा रखे कर्मचारी वर्ग तथा अधिष्ठान का अधीक्षण व नियंत्रण करना। (ड) प्रबन्धन समिति के संकल्पों को कार्यान्वित करना। (च) नियमों के विहित विभिन्न रजिस्टरों को रखने की व्यवस्था करना। (छ) प्रबन्धन समिति की ओर से दीवानीवाद संस्थित करना और अभियोग चलाना। (ज) अपनी अनुपस्थिति में सरपंच के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्रबन्धन समिति के किसी एक सदस्य को लिखित रूप से नाम निर्दिष्ट करना। (झ)सरपंच प्रबन्धन समिति के नाम के साथ ढाली हुई सरपंच की मोहर प्रबन्धन समिति के दो अन्य सदस्यों की उपस्थिति में ही प्रयोग करेगा जो अपनी उपस्थिति की पुष्टि में हस्ताक्षर भी करेंगे। (ञ) उप नियम (1) खण्ड (ज) के अधीन सरपंच द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य सरपंच की अनुपस्थिति में उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा सभी कर्त्तव्यों का निवर्हन करेगा जो उसे नियमावली के अधीन प्रदत्त या सौंपे गये हैं। यदि सरपंच ऐसा कोई नाम निर्देशन करने में असफल रहे हों तो ग्राम वन समिति के सदस्य बैठक के समय उपस्थिति सदस्यों में से किसी एक सदस्य को बैठक की कार्यवाही का संचालन करने के लिये सरपंच के रूप में चुन सकते हैं। (ट) इन नियमावली के अधीन सरपंच को सौंपें गये कर्त्तव्यों का निवर्हन करने के लिए सरपंच को प्रबन्धन समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में ग्राम वन/पंचायती वन निधि से शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश के क्रम की सीमा तक व्यय

Generated from eOffice by MANOJ KUMAR BHATT, RO- Forest Section 2-MKB, REVIEW OFFICER, Forest Department on 16/03/2024 02:11 PM

I/199895/2024

(छ) प्रबन्धन समिति की ओर से दीवानीवाद संस्थित करना और अभियोग चलाना। (ज) अपनी अनुपस्थिति में सरपंच के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्रबन्धन समिति के किसी एक सदस्य को लिखित रूप से नाम निर्दिष्ट करना। (2) सरपंच प्रबन्धन समिति के नाम के साथ ढाली हुई सरपंच की मोहर प्रबन्धन समिति के दो अन्य सदस्यों की उपस्थिति में ही प्रयोग करेगा जो अपनी उपस्थिति की पुष्टि में हस्ताक्षर भी करेंगे। (3) उप नियम (1) खण्ड (ज) के अधीन सरपंच द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य सरपंच की अनुपस्थिति में उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा सभी कर्त्तव्यों का निवर्हन करेगा जो उसे नियमावली के अधीन प्रदत्त या सौंपे गये हैं। यदि सरपंच ऐसा कोई नाम निर्देशन करने में असफल रहे हों तो ग्राम वन समिति के सदस्य बैठक के समय उपस्थिति सदस्यों में		करने और इस सीमा तक अग्रिम धनराशि का आहरण करने की शक्ति होगी। (2). सचिव के कर्त्तव्यः– वन पंचायत सचिव के निम्न कर्त्तव्य होंगेः– 1. प्रबन्धन समिति की सभी बैठकों की सूचना देना तथा उससे सम्बन्धित सूचनाओं को समस्त सदस्य को प्रसारित करना। 2. प्रबन्धन समिति की बैठकों का संचालन करना। 3. नियमों के विहित विभिन्न रजिस्टरों का रख–रखाव करना तथा सरपंच, प्रबन्धन समिति की ओर से सभी पत्र व्यवहार करना। 4. प्रबन्धन समिति तथा स्थानीय वन विभाग तथा राजस्व के अधिकारियों/कार्मिकों के साथ समन्वय स्थापित करना। 5. वन पंचायत के गठन, सीमांकन, बेदखली, अधिकारधारी, आय–व्यय व वन पंचायत से सम्बन्धित अन्य समस्त अभिलेखों को संधारित कर वन पंचायत के सरपंच की अभिरक्षा में रखवाना। वन पंचायत की रोकड बही को संधारित कर रख–रखाव करना एवं बैंक खाते पर सरपंच के साथ संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करना।

Generated from eOffice by MANOJ KUMAR BHATT, RO- Forest Section 2-MKB, REVIEW OFFICER, Forest Department on 16/03/2024 02:11 PM

I/199895/2024

से किसी एक सदस्य को बैठक की कार्यवाहियों का संचालन करने के लिये सरपंच के रूप में चुन सकते हैं। (4) इन नियमावली के अधीन सरपंच को सौंपें गये कर्तव्यों का निवर्हन करने के लिए सरपंच को प्रबन्धन समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में ग्राम वन/पंचायती वन निधि से एक हजार रूपये तक व्यय करने और इस सीमा तक अग्रिम धनराशि का आहरण करने की शक्ति होगी।		
नियम 28 का संशोधन	12	मूल नियमावली के नियम 28 (1) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्
स्तम्भ–1		**स्तम्भ–2**
विद्यमान नियम		**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
प्रत्येक प्रबन्धन समिति के लिये एक ग्राम वन/ पंचायती वन निधि की स्थापना की जायेगी और निम्न स्रोतों से प्राप्त आय उसमें जमा की जायेगी। 1. वन उपज के विक्रय से प्राप्त राशि।		प्रत्येक प्रबन्धन समिति के लिये एक ग्राम वन/पंचायती वन निधि की स्थापना की जायेगी और निम्न स्रोतों से प्राप्त आय उसमें जमा की जायेगी:– 1. वन उपज के विक्रय से प्राप्त धनराशि। 2. सरकारी अनुदान/धनराशि (वन विभाग तथा अन्य राजकीय विभाग, केन्द्र तथा वाह्य पोषित योजनाएं)। 3. अन्य किसी स्रोतों (जैसे CSR) से प्राप्त अनुदान अथवा धनराशि। उपरोक्त स्रोतों से प्राप्त धनराशि को प्रबन्धन समिति के नाम पोस्ट ऑफिस, राष्ट्रीयकृत बैंक,

Generated from eOffice by MANOJ KUMAR BHATT, RO- Forest Section 2-MKB, REVIEW OFFICER, Forest Department on 16/03/2024 02:11 PM

I/199895/2024

2. सरकारी अनुदान। 3. अन्य किसी स्रोतों से प्राप्त राजस्व। पूर्व नियमावलियों के अन्तर्गत प्रबन्धन हेतु गठित समिति/निकाय के प्रतिभाग की कलेक्टरों के पास उपलब्ध अप्रयुक्त धनराशि बिना किसी विलम्ब के प्रबन्धन समिति के नाम पोस्ट ऑफिस राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक में बचत खाता खोलकर जमा की जायेगी और इनका संचालन सरपंच और ग्राम वन/पंचायती वन के सचिव द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।			अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक में बचत खाता खोलकर धनराशि जमा की जायेगी और इनका संचालन सरपंच और ग्राम वन/पंचायती वन के सचिव द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।
नियम 29 का संशोधन	13		मूल नियमावली के नियम 29 (2) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्
स्तम्भ-1			**स्तम्भ-2**
विद्यमान नियम			**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
प्रबन्धन समिति को दी जाने वाली धनराशि का भुगतान सरपंच या सचिव द्वारा इस हेतु अधिकृत किसी सदस्य को किया जायेगा और धन प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा इसके			प्रबन्धन समिति द्वारा वन पंचायत के लेखा का रख-रखाव एवं लेखा प्रक्रिया ग्राम पंचायतों में अपनायी जा रही लेखा पद्धति की भाँति किया जायेगा।

Generated from eOffice by MANOJ KUMAR BHATT, RO- Forest Section 2-MKB, REVIEW OFFICER, Forest Department on 16/03/2024 02:11 PM

I/199895/2024

लिये रसीद फार्म संख्या–2 में प्राप्ति रसीद दी जायेगी।			
नियम 30 का संशोधन	14		मूल नियमावली के नियम 30 (3) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्
स्तम्भ–1			स्तम्भ–2
विद्यमान नियम			एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
500 रूपये से अधिक धनराशि का भुगतान प्रबन्धन समिति के सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा जारी किये गये चैकों द्वारा किया जायेगा।			शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश के क्रम में धनराशि का भुगतान प्रबन्धन समिति के सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा जारी किये गये चैकों द्वारा किया जायेगा।
नियम 54 का संशोधन	15		मूल नियमावली के नियम 54 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्
स्तम्भ–1			स्तम्भ–2
विद्यमान नियम			एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
राज्य स्तर पर ग्राम वनों के प्रबन्धन की समीक्षा एवं नीति निर्धारण हेतु राज्य परामर्शदात्री समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी :– 1. वन मंत्री– अध्यक्ष 2.जिला परामर्शदात्री समितियों के समस्त जिला समन्वयक –सदस्य 3. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरांचल शासन			राज्य स्तर पर ग्राम वनों के प्रबन्धन की समीक्षा, समन्वय, मार्ग–दर्शन तथा नीति निर्धारण हेतु राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी:– 1. माननीय मंत्री, वन, उत्तराखण्ड सरकार– अध्यक्ष 2.प्रमुख सचिव/सचिव वन एवं पर्यावरण– उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड शासन 3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) – सदस्य 4. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत– सदस्य 5. सचिव, राजस्व विभाग उत्तराखण्ड शासन– सदस्य 6. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन– सदस्य 7. सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन– सदस्य 8. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य 9. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल मण्डल – सदस्य 10.मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं मण्डल – सदस्य

Generated from eOffice by MANOJ KUMAR BHATT, RO- Forest Section 2-MKB, REVIEW OFFICER, Forest Department on 16/03/2024 02:11 PM

I/199895/2024

–सदस्य 4. सचिव वन, उत्तरांचल शासन –सदस्य 5. सचिव, राजस्व, उत्तरांचल शासन–सदस्य 6. प्रमुख वन संरक्षक (ग्राम वन)– सदस्य सचिव इस समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार यथासम्भव माह मई अथवा जून में आहूत की जायेगी, जिसमें ग्राम वनों के प्रबन्धन एवं नीति निर्धारण सम्बन्धी समस्त बिन्दुओं पर चर्चा की जायेगी।			11.मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत एवं सामुदायिक वानिकी उत्तराखण्ड– – सदस्य सचिव उक्त सदस्यों के अतिरिक्त समिति आवश्यकतानुसार पंचायती वन/वन पंचायत के प्रतिनिधि तथा पंचायती वन/वन पंचायत के हित में कार्य करने वाले सरकारी व गैर सरकारी व्यक्ति अथवा संस्थाओं को सहयोजित सदस्य के रूप में मनोनीत करेंगे। समिति पंचायती वनों के सुधार एवं वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु नीतिगत एवं संस्थागत व्यवस्था की समीक्षा करेगी एवं आवश्यक मार्गदर्शन करेगी। विभिन्न विभागों के बीच तथा हितभागी जनता, बाजार एवं सरकार के बीच समन्वय व्यवस्था की समीक्षा करेगी एवं नीति निर्धारण करेगी। समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आहूत की जायेगी।

Signed by Ramesh Kumar Sudhanshu
Date: 16-03-2024 13:07:34
(रमेश कुमार सुधांशु)
प्रमुख सचिव

संख्या– 509 /X–2–2023–20(01)2005 तद्दिनांकित
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अपर महानिदेशक (वन्यजीव), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन, जोर बाग, नई दिल्ली।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख निजी सचिव–मा0 वन मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

Generated from eOffice by MANOJ KUMAR BHATT, RO- Forest Section 2-MKB, REVIEW OFFICER, Forest Department on 16/03/2024 02:11 PM

I/199895/2024

7. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
9. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
10. प्रमुख वन संरक्षक(हॉफ), उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. प्रमुख वन संरक्षक(वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त अध्यक्ष जिला पंचायत/जिला पंचायत अधिकारी उत्तराखण्ड।
15. समस्त प्रमुख–क्षेत्र पंचायतें उत्तराखण्ड।
16. समस्त मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक/निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा–कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत उत्तराखण्ड देहरादून।
17. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड रूड़की को उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड के राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं गजट की 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ।
18. निदेशक एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
19. गार्ड पत्रावली।

Signed by Satya Prakash Singh
Date: 16-03-2024 13:11:20

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव

Generated from eOffice by MANOJ KUMAR BHATT, RO- Forest Section 2-MKB, REVIEW OFFICER, Forest Department on 16/03/2024 02:11 PM